



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-212

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 269476 दिनांक 01/12/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गु.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Ratani Devi W/o Moti Lal Meena एवं Manisha Meena Lala Ram Meena	स्काईएज रियलटर्स प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री भगवान सहाय चौधरी पुत्र श्री रधुनार्थ सहाय चौधरी	7	101.54 SQ. METER	Private	SHIV OFFICERS COLONY-E BLOCK EXT. Sector/Block-	Name Transfer	निजी खातेदारी योजना शिव आफिसर्स कॉलोनी-ई ब्लॉक विस्तार के भूखण्ड संख्या 07 क्षेत्रफल 101.54 व.मी. का फ्री होल्ड पट्टा दिनांक 30.09.2023 को स्काईएज रियलटर्स प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री भगवान सहाय चौधरी पुत्र श्री रधुनार्थ सहाय चौधरी के पक्ष में जारी किया गया है। तत्पश्चात स्काईएज रियलटर्स प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री भगवान सहाय चौधरी पुत्र श्री रधुनार्थ सहाय चौधरी द्वारा श्री मुकेश कुमार मीणा पुत्र श्री भौरी लाल मीणा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

30.11.2023 के द्वारा बेचान किया गया है। तत्पश्चात श्री मुकेश कुमार मीणा द्वारा श्रीमती रतनी देवी पत्नी श्री मोती लाल मीना एवं श्रीमती मनीषा मीना पत्नी श्री लालाराम मीना को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.01.2025 के द्वारा बेचान किया गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Ratani Devi W/o Moti Lal Meena एवं Manisha Meena Lala Ram Meena को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |